



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2018/माघ 2, 1939

No. 27]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2018/MAGHA 2, 1939

## भारतीय उपचर्या परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2017

फा. सं. 11-1/2015-आई.एन.सी.—दिनांक 13.05.2015 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 164 के माध्यम से अधिसूचित भारतीय उपचर्या परिषद् (कार्य संचालन), विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:—

क्रमांक	विनियम संख्या	के लिए	पढ़ा जाए
1	प्रस्तावना	“भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1945 (1947 का 47) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है।”	“भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 47) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित और आई.एन.सी. के पूर्व विनियमों के गोपन के अनुसार भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है।”
2	2(5)	“उपाध्यक्ष” का आशय अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन नियुक्त सचिव से है;	“उपाध्यक्ष” का आशय अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष से है;
3	2(8)	“कोषाध्यक्ष” का आशय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) अथवा 2(ग) के अधीन नियुक्त कोषाध्यक्ष से है;	“कोषाध्यक्ष” का आशय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2(ग) के अधीन नियुक्त कोषाध्यक्ष से है;
4	6(1)(ख)	15 दिन के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाएगा यदि उसे कम से कम पंद्रह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग प्राप्त होती है और विनियम 8(1)(ख) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट प्रयोजन से इतर प्रयोजन का वर्णन किया जाता है और वह ऐसा प्रयोजन है जो परिषद् के कार्यों के कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसा प्रयोजन है जिस पर वे बैठक	15 दिन के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाएगा यदि उसे कम से कम पन्द्रह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग प्राप्त होती है और विनियम 10(1)(ख) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट प्रयोजन से इतर प्रयोजन का वर्णन किया जाता है और वह ऐसा प्रयोजन है जो परिषद् के कार्यों के कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसा

क्रमांक	विनियम संख्या	के लिए	पढ़ा जाए
		बुलाना चाहते हैं।	प्रयोजन है जिस पर वे बैठक बुलाना चाहते हैं।
5	6(2)	किसी भी वित्तीय वर्ष में आयोजित विनियम संख्या 4(1) के परंतुक में उल्लिखित विशेष बैठकों के अलावा परिषद की पहली बैठक उस वर्ष की परिषद की वार्षिक बैठक होगी।	किसी भी वित्तीय वर्ष में आयोजित विनियम संख्या 6(1) के परंतुक में उल्लिखित विशेष बैठकों के अलावा परिषद् की पहली बैठक उस वर्ष की परिषद् की वार्षिक बैठक होगी।
6	7	विनियम संख्या 4(1) के परंतुक में उल्लिखित बैठकों में केवल ऐसे विषय अथवा विषयों पर चर्चा की जाएगी जिन पर विचार किए जाने के लिए बैठक बुलाई गई है।	विनियम संख्या 6(1) के परंतुक में उल्लिखित बैठकों में केवल ऐसे विषय अथवा विषयों पर चर्चा की जाएगी जिन पर विचार किए जाने के लिए बैठक बुलाई गई है।
7	8	विनियम संख्या 4(1) के परंतुक के अधीन अथवा विनियम संख्या 8(1)(ख) के पहले परंतुक के अधीन बुलाई जाने वाली विशेष बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक के लिए सचिव द्वारा परिषद के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले सूचना भेजी जाएगी।	विनियम संख्या 6(1) के परंतुक के अधीन अथवा विनियम संख्या 10(1)(ख) के पहले परंतुक के अधीन बुलाई जाने वाली विशेष बैठकों के अलावा प्रत्येक बैठक के लिए सचिव द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले सूचना भेजी जाएगी।
8	15(3)	प्रस्ताव का इस तरह वर्णन किए जाने के बाद इस पर एक ऐसे प्रश्न के रूप में विचार किया जाएगा जिसका समाधान सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में किया जाएगा अथवा कोई सदस्य विनियम 14 तथा 15 के अध्याधीन प्रस्ताव के लिए संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।  शर्त यह है कि अध्यक्ष कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देगा जो एक मूल प्रस्ताव होने की स्थिति में विनियम 5 के अधीन अस्वीकार्य होता।	प्रस्ताव का इस तरह वर्णन किए जाने के बाद इस पर एक ऐसे प्रश्न के रूप में विचार किया जाएगा जिसका समाधान सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में किया जाएगा अथवा कोई सदस्य विनियम 14 तथा 17 के अध्याधीन प्रस्ताव के लिए संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।  शर्त यह है कि अध्यक्ष कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देगा जो एक मूल प्रस्ताव होने की स्थिति में विनियम 7 के अधीन अस्वीकार्य होता।
9	18(1)(क)	विनियम 13 में यथाप्रस्तावित प्रस्ताव का संशोधन अथवा स्थिति अनुसार संशोधन का संशोधन;	विनियम 13 में यथाप्रस्तावित प्रस्ताव का संशोधन अथवा स्थिति अनुसार संशोधन का संशोधन के लिए;
10	57	मान्यता और मंजूरी प्रदान किए जाने और साथ ही नियतकालिक, पुनःनिरीक्षण तथा सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए और साथ ही भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन परीक्षाओं में उपस्थित रहने के प्रयोजन से प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण निम्न विनियमों के अनुसार किया जाएगा।	उपयुक्तता प्रदान किए जाने और साथ ही नियतकालिक, पुनःनिरीक्षण/औचक निरीक्षण तथा सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए और साथ ही भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन परीक्षाओं में उपस्थित रहने के प्रयोजन से प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण निम्न विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
11	57(1)	सचिव, उपचर्या पाठ्यक्रम चलाने और साथ ही उपचर्या पाठ्यक्रम परीक्षाओं के दौरान उपस्थित रहने के लिए एक उपचर्या प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए किसी संस्थान का निरीक्षण करने के प्रयोजन से परिषद् के सदस्यों में से अथवा अन्यथा कम से कम दो तदर्थ निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा।	सचिव, उपचर्या पाठ्यक्रम चलाने और साथ ही उपचर्या पाठ्यक्रम परीक्षाओं के दौरान उपस्थित रहने के लिए एक उपचर्या प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उपयुक्तता दिए जाने के लिए किसी संस्थान का निरीक्षण करने के प्रयोजन से परिषद् के सदस्यों में से अथवा अन्यथा कम से कम दो तदर्थ निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा।
12	57(12)	मान्यताप्राप्त उपचर्या संस्थानों का नियतकालिक निरीक्षण कराया जाएगा ताकि उपचर्या शिक्षा मानकों का सतत अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे संस्थानों/अर्हताओं को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा स्वीकृत सतत मान्यता प्रदान की जा सके।	मान्यताप्राप्त उपचर्या संस्थानों का नियतकालिक निरीक्षण/औचक निरीक्षण कराया जाएगा ताकि उपचर्या शिक्षा मानकों का सतत अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे संस्थानों/अर्हताओं को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा स्वीकृत सतत उपयुक्तता प्रदान की जा सके।

[विज्ञापन-III/4/असा./393/17]

**INDIAN NURSING COUNCIL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2017

**F. No. 11-1/2015-INC.**—In the Gazette Notification No. 164 dated 13.05.2015 of the Indian Nursing Council, the following changes/corrections are effected.

S.No.	Regulation Number	For	Read
1	Preamble	“In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 16 of Indian Nursing Council Act 1945.. (XLVII of 1947) as amended from time to time .....	“In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of Indian Nursing Council Act 1947 (XLVII of 1947) as amended from time to time and in supersession of the earlier INC Regulations .....
2	2(5)	“Vice-President” means the Vice President elected under Section 13 (1) of the Act.	“Vice-President” means the Vice President elected under Section 8 (2) (a) of the Act.
3	2(8)	‘Treasurer’ means the Treasurer appointed by the Council under sub-section 1 or 2 (c) of section 8 of the Act;	‘Treasurer’ means the Treasurer appointed by the Council under sub-section (2) (c) of section 8 of the Act;
4	6 (1) (b)	Shall call a special meeting on 15 days’ notice, if he receives a requisition in writing signed by not less than fifteen members and stating the purpose other than that mentioned in the first proviso to Regulation No. 8 (1) (b) and being a purpose within the scope of the Council’s functions for which they desire the meeting to be called.	Shall call a special meeting on 15 days’ notice, if he receives a requisition in writing signed by not less than fifteen members and stating the purpose other than that mentioned in the first proviso to Regulation No. 10 (1) (b) and being a purpose within the scope of the Council’s functions for which they desire the meeting to be called.
5	6(2)	The first meeting of the Council other than a special meeting referred to in the proviso to Regulation No. 4 (1) held in any financial year shall be the annual meeting of the Council for that year.	The first meeting of the Council other than a special meeting referred to in the proviso to Regulation No. 6 (1) held in any financial year shall be the annual meeting of the Council for that year.
6	7	At meetings referred to in the proviso to Regulation No. 4 (1) only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.	At meetings referred to in the proviso to Regulation No. 6(1) only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.
7	8	Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to Regulation No. 4 (1) or under the first proviso to Regulation No. 8 (1) (b) shall be dispatched by the Secretary to each member of the Council not less than 30 days before the date of the meeting.	Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to Regulation No. 6 (1) or under the first proviso to Regulation No. 10 (1) (b) shall be dispatched by the Secretary to each member of the Council not less than 30 days before the date of the meeting.
8	15 (3)	When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may, subject to Regulation 14 and 15, move an amendment to the motion; Provided that President shall not allow an amendment to be moved which if it had been a substantive motion would have been inadmissible under Regulation 5.	When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may, subject to Regulation 14 and 17, move and amendment to the motion; Provided that President shall not allow an amendment to be moved which if it had been a substantive motion would have been inadmissible under Regulation 7.
9	18 (1) (a)	An amendment of the motion or of the amendment as the case may be, as proposed	For an amendment of the motion or of the amendment as the case may be, as proposed

S.No.	Regulation Number	For	Read
		in Regulation 13;	in Regulation 15;
10	57	“The inspection of Training Institutions for the purpose of grant of recognition and approval as also for periodic, re-inspections and for enhancement of seats as also for attending examinations under section 13 (1)..”	“The inspection of Training Institutions for the purpose of grant of suitability as also for periodic re-inspections/surprise inspections and for enhancement of seats as also for attending examinations under section 13..”
11	57 (1)	“The Secretary shall appoint not less than two ad-hoc inspectors whether from the members of the Council or otherwise to inspect any institution for the purpose of being recognized as...”	“The Secretary shall appoint not less than two ad-hoc inspectors whether from the members of the Council or otherwise to inspect any institution for the purpose of suitability as ...”
12	57 (12)	“Periodical inspections of recognized nursing institutions shall be conducted so as to ensure continued maintenance of nursing education standards and for granting continued recognition to...”	“Periodical inspections/ surprise inspection of suitable nursing institutions shall be conducted so as to ensure continued maintenance of nursing education standards and for granting continued suitability to...”

T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.–III/4/Exty./393/17]